

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

राजस्व लोक अदालत कैम्प रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

ठासीन अधिकारी:- सुनिता यादव, आर.ए.एस.

फ़दमा नम्बर :-282/2012 राजस्व वाद

दपत्र अन्तर्गत धारा 88-89-92क-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मति पानी पुत्री भैरू गाडरी, उम्र बालिग निवासी हुर्णियाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
(राजस्थान) -----वादिया

बनाम

श्री बगतावर पिता भैरू गाडरी, उम्र बालिग निवासी हुर्णियाखेड़ा तहसील व जिला
भीलवाड़ा मृतक के कायम मुकाम:-

1/1-श्री सम्पत पिता बगतावर गाडरी, उम्र बालिग निवासी हुर्णियाखेड़ा तह. भीलवाड़ा

1/2-नाना पुत्री बगतावर गाडरी, उम्र बालिग निवासी हुर्णियाखेड़ा तहसील भीलवाड़ा

1/3-ठेकू देवी पत्नि बगतावर गाडरी, उम्र बालिग निवासी हुर्णियाखेड़ा तह0 भीलवाड़ा

श्रीमति रूकमा पत्नि बरदा गाडरी, उम्र बालिग निवासी हुर्णियाखेड़ा तहसील व जिला
भीलवाड़ा (राजस्थान) मृतक के कायम मुकाम:-

2/1-कमला पुत्री बरदा गाडरी, उम्र बालिग निवासी खायड़ा

2/2-गीता पुत्री बरदा गाडरी, उम्र बालिग निवासी हुर्णियाखेड़ा

श्रीमति जेतू पुत्री भैरू गाडरी, उम्र बालिग निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला
भीलवाड़ा (राजस्थान)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

उप पंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----प्रतिवादीगण

वादिया की ओर से श्री - एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1

की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 11.6.


को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि
डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि

तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा
- को दी जायें।

न्याय हित में आपसी राजीनामा अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से
के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम
याखेड़ा पटवार हल्का रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर
1, 1584, 1585, 1586, 2010, 2012, 2579/1583, 2581/2011 कुल किता 8 रकबा 7
गा भूमि में वादिया का 1/4 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 का 1/4 हिस्से,
प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/2 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा
नुसार भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार भूमि

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।
उर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।


(सुनिता यादव)


आर.ए.एस.

~~उपखण्ड अधिकारी~~

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 11.6.2018 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी

की गयी ।


~~उपखण्ड अधिकारी~~

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा